



## समिति पंजीकरण प्रमाण-पत्र

(वर्ष 1860 का इक्कीसवाँ अधिनियम)

क्रमांक

160

वर्ष

2002-2003

यह प्रमाण-पत्र प्रमाणित करता है कि LAXMI EDUCATIONAL SOCIETY,

V. P. O. KANESAR (DISTT. GURGAON)

नामक समिति को समिति

पंजीकरण अधिनियम इक्कीस आठ 1860 (तथा पंजाब संशोधन अधिनियम 1957 द्वारा  
संशोधित) के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक

वर्ष

2002

को चण्डीगढ़ में जारी किया गया।

मास

April

*(Signature)*  
रजिस्ट्रार समितियाँ, हरियाणा

PRINCIPAL  
Laxmi International School  
KASAN, Distt. Gurgaon